यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री एस. एस. दरियाल, श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22.10.2020 से 04.11.2020 तक श्री आर.एस.नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री बी.बी.एम. त्रिपाठी, श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.08.2019 से 13.08.2019 तक श्री के.एल.भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख मे)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	2386.00
2018-19	2515.00
2019-20	2416.19

(ii) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना ()	गैर स्थापना ()	आवंटन ()	व्यय ()	आवंटन ()	व्यय ()		
		लागू नहीं						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त, राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त, राज्य कर**>** उपायुक्त, राज्य कर**>** सहायक आयुक्त, राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन:-**

राजस्व: (डी.सी.आर. संयुक्त रुप से बनाया जाता है।) विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ---------- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : यथोचित कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹20.43 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना।

प्रस्तर- 02 : बिना सत्यापन के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ दिया जाना ₹2.07/- लाख।

प्रस्तर- 03 : करारोपण न किए जाने से ₹5.45/- लाख राजस्व हानि।

प्रस्तर- 04 : बिलम्ब से देय कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.26 लाख।

प्रस्तर- 05 : विक्री कम दिखाये जाने पर भी विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹02.37 लाख की राजस्व हानि।

प्रस्तर- 06 : प्रपत्र -11 के सापेक्ष निर्मित बस्तु का विक्री के परिणामस्वरूप ₹02.97 लाख की राजस्व हानि।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग-2 (ब)

प्रस्तर- 01 : यथोचित कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹20.43 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 18 (1) (g) के अनुसार कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन देय कोई कर (कोई अर्थदण्ड या ब्याज सहित) देय तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है, तो कर निर्धारण अधिकारी पंजीयन निरस्त कर सकता है।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 11 के अनुसार ब्यौहारी, जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में 50 लाख से अधिक का आवर्त रहा है त्रैमासिक, जून 30, सितम्बर 30, दिसंबर 31 और मार्च 31 को समाप्त होने वाले त्रैमास के लिए उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक सावधिक विवरणों को प्रस्तुत /दाखिल करेगा। यदि कर निर्धारक अधिकारी द्वारा उक्त सावधिक विवरणों की गंभीरता से जांच किया जाता और धारा 34 की उपधारा (21) के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी को किसी प्रपत्र या प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर देता और ब्यौहारी द्वारा परिवहन किए जा रहे माल को अभिगृहीत किए जाने का आदेश देता, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई कर, ब्याज या कोई अन्य धनराशि वसूला जाना हो, तो अवश्य ही इतनी अधिक बकाया वसूला जाना शेष न होता।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खंड -1, हरिद्वार की लेखा परीक्षा के दौरान बकाया राजस्व से संबन्धित अभिलेखो की जांच में पाया गया कि वर्षांत माह मार्च, 2020 तक कुल ₹20.43 करोड़ राजस्व बकाया दिखाया गया था। विभाग के द्वारा व्यापारियों के द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणों की जांच गंभीरता से की जाती और यथा समय यथा विधि बकाया कर होने की स्थिति में वसूली की कार्यवाही की जाती तो अवश्य ही इतनी अधिक धनराशि बकाया नहीं रहता। यह स्पष्टतः विभाग के राजस्व के प्रति उदासीनता का द्योत्तक है। अर्थात विभाग के द्वारा उल्लिखित नियमावली/ अधिनियम के नियम/धाराओ के अनुसार कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप बकाया अवशेष रहा।

इसे इंगित करने पर विभाग उत्तर में बताया कि “जांचोपरांत कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाएगा”

अतः यथौचित कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹20.43 करोड़ की वसूली नहीं किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 2 (ब)

प्रस्तर- 02 : बिना सत्यापन के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ दिया जाना ₹2.07/- लाख।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री अजय मेडिकल हाल, भीम गौड़ा, हरिद्वार (टिन- 05009407861) द्वारा संगत वर्ष 2016-17 में कर निर्धारण पत्रावली में सभी खरीद प्रांतीय खरीद के रूप में की जानी स्वीकार की गयी हैं, जिन पर ₹207180/= इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया था जिसे स्वीकारते हुए ITC का लाभ दिया गया। साथ ही **खाता पालक को निर्देश दिये गए कि वह आई0 टी0सी0 का सत्यापन नियमनुसार करना सुनिश्चित करे तथा किसी विपरीत तथ्य के पाये जाने पर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करें।**

पत्रावली की जांच में पाया कि उक्त आदेशो का पालन किस प्रकार किया गया इस संबंध में कृत कार्यवाही का अभिलेखीकरण नहीं किया गया था। व्यापारी द्वारा की गयी प्रांतीय खरीद लिस्ट जो विभाग को उपलब्ध कराई गयी थी में किसी भी व्यापारी का TIN उल्लेख नहीं किया गया था। अभिलेखों के अभाव में अनुमन्य की गयी आई0टी0सी0 देय नहीं थी।

अत: गलत आई0टी0सी0 ₹2,07,180/- का अनुचित लाभ दिये जाने से विभाग को राजस्व हानि हुयी।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि जाँचोप्रांत कार्यवाही की जाएगी। ईकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जब खरीद लिस्ट में TIN का ही उल्लेख नहीं है तो आई0टी0सी0 का सत्यापन किस प्रकार किया गया। अत: बिना सत्यापन के ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹2,07,180/- का अनुचित लाभ दिये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर- 03 : करारोपण न किए जाने से ₹5.45/- लाख राजस्व हानि।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री सत्यम प्लास्टिक, ई0-3 ओल्ड इ0ए0 हरिद्वार (टिन- 05014441482) ने कर निर्धारण अवधि 2014-15 में 05 फार्म 16 का प्रयोग किया था जबकि आयातित खरीद मात्र 02 फार्म 16 के द्वारा की गयी दर्शाई गयी थी। शेष 03 फार्म 16 के द्वारा Fixed Assets की खरीद रु0 37,14,636/= वर्ष 2014-15 में की गयी थी। Fixed Assets के संबंध में Balance Sheet की प्रति उपलब्ध नहीं थी।

आगे, जाँच में पाया गया कि व्यापारी के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के कर निर्धारण आदेश में टिप्पणी की गयी थी कि गोपनीय पत्रावली में आलोच्य वर्ष से संबन्धित कोई सर्वेक्षण नहीं है वाद की जांच पर कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया। जबकि, गोपनीय पत्रावली की जांच में यह भी पाया कि 17.05.2016 को स्थलीय सर्वेक्षण में उल्लेखित स्थल पर कोई भी व्यापारिक गतिविधि कभी भी नहीं होती पायी गयी थी। घोषित स्थल पर फ़र्म प्रिंटो पैक थी तथा सत्यम प्लास्टिक नाम से स्थल पर कोई फ़र्म नहीं चल रही थी। स्थल सत्यापन के आधार पर दिनांक 10.06.2016 को फ़र्म का registration cancel के आदेश गोपनीय पत्रावली में अंकित पाये गए।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी मुख्यतः मात्र दो फ़र्म S & S Print-O-Pack (जो उसी स्थल पर चल रही पायी गयी थी) तथा Raja Plastic से ही sales/purchase कर रहा था जिसके संचालक सर्कती सत्यम प्लास्टिक के proprietor के परिवार से ही थे। मात्र ITC का लाभ लेने के एक छदम फ़र्म बनाई गयी प्रतीत होती है फिर भी सहायक कर आयुक्त, राज्य कर, खंड - 1, हरिद्वार द्वारा वर्ष 2019-20 में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के कर निर्धारण के लिए प्रस्तुत होते समय व्यापारी से पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने के लिए नहीं कहा गया तथा **उसके अवशेष स्टाक व प्लांट एवं मशीनरी जो वर्ष 2014-15 में फार्म 16 के माध्यम से क्रय के प्रत्यक्ष प्रमाण थे व अवशेष स्टाक विक्रय स्वीकारते हुए विक्रय के लिए प्लांट एवं मशीनरी पर 13.5 प्रतिशत व अवशेष स्टाक पर 5% की दर से कर आरोपित किये जाने योग्य था । जिस पर निम्नवत दर से कर की गणना कर, कर आरोपित किया जाना था।**

प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य	-	₹ 3714636/-
प्लांट एवं मशीनरी पर टैक्स दर	-	13.5%
प्लांट एवं मशीनरी पर देय टैक्स राशि	-	₹501475/-
वर्ष 2015-16 में अवशेष स्टाक	-	₹8,70,880/-
अवशेष स्टाक पर टैक्स दर	-	5%
अवशेष स्टाक पर देय टैक्स राशि	-	₹ 43544/-

इस प्रकार व्यापारी पर कुल टैक्स की देयता ₹5,45,019/- (₹5,01,475/- + ₹43,544/-) बनती थी जिस पर नियमत: ब्याज भी देय था।

अत: प्लांट एवं मशीनरी पर 13.5 % व अवशेष स्टाक पर 5% की दर से ₹5,45,019/- का कर आरोपित किया जाना था।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यलय ने उत्तर दिया कि जाँचोप्रांत कार्यवाही की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था जब फर्म व्यापार स्थल पर नहीं थी तो प्लांट एवं मशीनरी एवं अवशेष स्टाक का विक्रय स्वीकारते हुए ₹5,45,019/- का कर आरोपित किया जाना था।

अत: करारोपण न किए जाने से ₹5,45,019/- की राजस्व हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर- 04 : बिलम्ब से देय कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.26 लाख।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 102/XXXVI(3)/2015/22(1)/2015 दिनांक 31 मार्च 2015 के बिन्दु 7(ख)(i) के अनुसार ऐसी राशि, जो ऐसे कर के पाँच प्रतिशत के बराबर हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक न हो, देय होगी तथा 7(ख)(ii) के अनुसार, ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम और बीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार तक है। साथ ही बिन्दु 7(ख)(iii) के अनुसार, ऐसी राशि, जो ऐसे कर के बीस प्रतिशत से कम और तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार से अधिक है।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि छः व्यापारियों के द्वारा स्वीकृत कर ₹17,89,945/- विलम्ब से जमा किया गया था। स्वीकृत कर विलम्ब से जमा करने पर नियमानुसार ₹1,26,432/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था (विवरण संलग्न), जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि “जांचोपरांत कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाएगा”

अतः बिलम्ब से देय कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.26/- लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

विलम्ब से जमा कर पर आरोपणीय अर्थदण्ड का विवरण

क्रम संख्या	व्यापारी का नाम	माह	कर की धनराशि	देय तिथि	जमा करने की तिथि	देय अर्थदण्ड (दर प्रतिशत)	जमा किया गया अर्थदण्ड	अवशेष अर्थदण्ड
1	सर्वश्री ए0पी0सी0 इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट प्रा0 लि0 (2015-16) टिन-05012426986	Q1 (अप्रैल-जून)	341167	20.07.2015	19.08.2015	17058 (5%)	5118	11940
		Q2 (जुलाई-सितम्बर)	77241	20.10.2015	29.10.2015	3862 (5%)	0	3862
2	सर्वश्री विकास इंडस्ट्रीज़ (2015-16) टिन-05001971744	मार्च 2016	22030	20.04.2016	30.08.2016	4406 (20%)	1100	3306
		Q4 (जनवरी-मार्च)	101450	20.04.2016	28.04.2016	5073 (5%)	0	5073
3	सर्वश्री क्रिएटिव इंजीनियरिंग (2016-17) टिन-05007149895	जुलाई 2016	13030	20.08.2016	05.10.2016	1303 (10%)	434	869
		अगस्त 2016	44205	20.09.2016	05.10.2016	2210 (5%)	828	1382
		अक्टूबर 2016	68266	20.11.2016	27.01.2017	13653 (20%)	1995	11658
		नवम्बर 2016	37355	20.12.2016	19.01.2017	1868 (5%)	468	1400
4	सर्वश्री ए0आर0 इंजीनियर्स (2015-16) टिन-05011692793	Q2 (जुलाई-सितम्बर)	141295	20.10.2015	28.10.2015	7065 (5%)	0	7065
		जनवरी 2016	190866	20.02.2016	02.03.2016	9543 (5%)	0	9543
		फरवरी 2016	185531	20.03.2016	29.03.2016	9277 (5%)	0	9277
		Q4 (जनवरी-मार्च)	120536	20.04.2016	25.05.2016	24107 (20%)	0	24107
		Q4 (जनवरी-मार्च)	90000	20.04.2015	30.05.2016	18000 (20%)	0	18000

5	सर्वश्री जनता टूल हाउस (2015-16) टिन-05001821588	मई 2015	53000	20.06.2015	29.06.2015	2650 (5%)	0	2650
		जुलाई 2015	41000	20.08.2015	27.08.2015	2050 (5%)	0	2050
		अगस्त 2015	36000	20.09.2015	28.09.2015	1800 (5%)	0	1800
		जनवरी 2016	32805	20.02.2016	26.02.2016	1640 (5%)	0	1640
6	सर्वश्री दून एण्ड कंपनी (2016-17) टिन-05016864057)	Q4 (जनवरी-मार्च)	216198	20.04.2016	26.04.2017	10810 (5%)	0	10810
योग			**1789945**					**126432**

भाग-2 (ब)

प्रस्तर- 05 : बिक्री कम दिखाये जाने पर भी विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹02.37 लाख की राजस्व हानि।

उत्तराखंड मूल्यबर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 उपधारा 1 के अनुसार किसी ब्यौहारी अथवा ब्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक बिक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। कार्यालय सहायक आयुक्त, (कर-नि.) खंड-1, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ब्यापारी सर्व श्री लारड्रम्स इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि. हरिद्वार ट्रांसफार्मर, कंप्यूटर पेरिफेरल, बैट्री एवं गार्मेंट्स आदि के निर्माण-खरीद-बिक्री हेतु पंजीकृत है। ब्यापारी के वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण वर्ष 2019-20 में किया गया था। कर निर्धारण आदेश में उल्लिखित आंकड़ों के अनुसार ब्यापारी के द्वारा बिक्रय कम दिखाया गया था, जो कि निम्नानुसार था:-

(धनराशि ₹ में)

प्रारम्भिक रहतिया	4290800
क्रय	12154560
योग (प्रारम्भिक रहतिया + क्रय)	**16445360**
विक्रय	10149268
अंतिम शेष	4541527
योग (विक्रय + अंतिम शेष)	**14690795**
कम प्रदर्शित विक्रय (16445360-14690795)	**1754565**

उकतानुसार यदि ब्यापार लाभांश रहित भी माना जाय तब भी रु. 1754565/- से बिक्रय कम दिखाया गया है। इस प्रकार ₹1754565/- को बिक्रय मानते हुये 13.50% की दर से ₹236866.28 कर आरोपणीय था, जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया। इस धनराशि पर 15.50 % वार्षिक दर से ब्याज भी वसूलनीय है। ब्यापारी के द्वारा वर्ष में 40 प्रपत्र-16 का प्रयोग किया गया था लेकिन कोई भी प्रपत्र-16 पत्रावली में नहीं लगाया गया था। इसे इंगित करने पर विभाग उत्तर में बताया कि "जांचोपरांत कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाएगा" अतः स्पष्टतः करायवंचन की मंशा से विक्री कम दिखाये जाने पर भी विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹236866.28 की राजस्व हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर- 06 : प्रपत्र -11 के सापेक्ष निर्मित बस्तु का विक्री के परिणामस्वरूप ₹02.97 लाख की राजस्व हानि।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सर्वश्री हर्षा-ला-मोड, सिडकुल हरिद्वार, (टिन- 05008256762) पंजीकृत फर्म है तथा व्यापार रेडीमेड गार्मेंट्स, शूज, कपड़ा, एवं कैनोपी की खरीद -निर्माण बिक्री का है। सर्वश्री हीरो मोटोकार्प लि. हरिद्वार के द्वारा 05 फार्म-11 प्रश्नगत फर्म को जारी किया गया था। जिसके सापेक्ष ₹28,30,845.15 का रेडीमेड गार्मेंट्स, शूज एवं रेनकोट की आपूर्ति की गई थी। गोपनीय पत्रावली के अनुसार प्रश्नगत फर्म शूज एवं रैंनकोट निर्माण हेतु अधिकृत नहीं थी। उल्लेखनीय है कि निर्माता फर्म द्वारा तैयार माल फार्म-11 के सापेक्ष आपूर्ति करना अनियमित था। अतः ₹28,30,845 पर पूर्ण दर से कर आरोपणीय था। इस प्रकार 10.50 प्रतिशत (13.5-3) की अन्तरीय दर से कर और आरोपणीय है अतः कर ₹2,97,239/- (2830845x10.50) का फार्म-11 के अनियमित प्रयोग के परिणामस्वरूप वसूली नहीं की गयी थी। साथ ही पत्रावली में वस्तु के नाम सहित क्रय-बिक्रय सूची भी उपलब्ध नहीं थी।

इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि “जांचोपरांत कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाएगा”। प्रपत्र- 11 के सापेक्ष निर्मित बस्तु (Finished goods) का जो कि कच्ची सामाग्री के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, विक्री किया जाना अनियमित था। अतः प्रपत्र- 11 के सापेक्ष निर्मित बस्तु का विक्री के परिणामस्वरूप ₹2,97,239 की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-07/2014-15	-	02,03,04	01
CT-111/2017-18	-	01,02,03,04,05	-
CT-49/2019-20	01	01,02,03	01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खण्ड-1, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
3. टिप्पणी- शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री मनमोहन असवाल	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV